

कर्नाटक ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

कर्नाटक ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों को स्वीकार करने के लिये अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने की अनुमति दी।

- [22/22222/2222/22222222/22/22222222/2222/2018](#) में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के अनुसार कथिा गया है, जसिमें नषिक्रयि इच्छामृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया था।
 - नषिक्रयि इच्छामृत्यु में जीवन-रक्षक उपचारों को रोकना या बंद कर देना शामिल है, जसिसे व्यक्तिको अपनी स्थितिसे स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का 2023 का आदेश [अनुच्छेद 21](#) के तहत सम्मान के साथ मरण के अधिकार की पुष्टि करता है और नषिक्रयि इच्छामृत्यु के मानदंडों को सरल बनाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय दशिा-नरिदेश 2023:
 - **WLST का प्रत्याहरण:** प्राथमकि और द्वितीयक चकित्सिा बोर्ड, लविगि वलि के आधार पर जीवन-रक्षक चकित्सिा (WLST) का प्रत्याहरण कयि जाने के अनुरोधों की समीक्षा करेंगे।
 - **लविगि वलि:** लविगि वलि (एडवांस मेडिकल डायरेक्टिवि) से रोगयिों को अपने उपचार संबंधी इच्छाओं को दस्तावेज़िा करने की सुवधिा मलिती है, जसिसे जीवन के अंतमि नरिणयों में गरमिा सुनशिचति होती है।
 - **अनुमोदन:** प्रक्रयिा के लयि उपचार करने वाले डॉक्टर, दो मेडिकल बोर्ड (प्रत्येक में तीन चकित्सिक) तथा ज़लिा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामति चकित्सिक से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
 - **सहमति:** मेडिकल बोर्ड के नरिणय के लयि नकिटतम रशितेदार की सहमति और प्रथम श्रेणी न्यायकि मजसि्ट्रेट (JMFC) से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
 - **उन्नत चकित्सिा नरिदेश (AMD):** AMD के अनुसार यदरोगी की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नरिणय लेने के लयि कम-से-कम दो व्यक्तयिों की नयुक्ति करना अनविार्य है।
 - AMD को स्वस्थ मसतषिक वाले वयस्कों द्वारा नषिपादति कयिा जा सकता है, डिजिटल रूप में या दस्तावेज़ पर दर्ज कयिा जा सकता है, तथा स्वास्थ्य रकिॉर्ड में बनाए रखा जा सकता है।

IN THE SUPREME COURT

2011: *Aruna Shanbaug v. Union of India* recognised that life-sustaining treatment could legally be withheld/ withdrawn even from persons without decision-making capacity.

2018: *Common Cause v. Union of India* recognised the right to die with dignity as a fundamental right under Article 21 of the Constitution

of India, and legalised the use of advance medical directives or 'living wills'.

2023: *Common Cause v. Union of India* simplified the process for making living wills and withholding/ withdrawing life-sustaining treatment by removing bureaucratic hurdles.



और पढ़ें: [सर्वोच्च न्यायालय ने नषिक्रयि इच्छामृत्यु के मानदंडों को आसान बनाया](#)

